



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230781
CG-DL-E-28102021-230781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4122]
No. 4122]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4477(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3239 (अ) तारीख 10 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र 3003 तारीख 11 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 07 सितम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील- पचपदरा

जिला-बाडमेर

राज्य-राजस्थान

क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे न0	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सांभरा	30 157/30 158/30 159/30 160/30 161/30 162/30 163/30	00	44	78
		कुल	00	44	78
2	गोपडी	335/157	02	36	55
		कुल	02	36	55
3	मंडापुरा	1042/44	00	16	47
		110	00	16	47
		कुल	00	32	94
4	खेड	722/1	00	25	89
		726/1	00	14	13
		725/1	00	31	57
		723/1	00	20	82
		716/1	00	13	15
		721/1	00	28	21
		757/3	00	00	90
		756/3	00	16	38
		514/3	00	41	68
		516/3	00	75	74
		673/286 668/286 669/286 675/286 878/286	00	19	68
		690/285 691/285			
			00	15	57

		692/285			
		1828/300	00	00	90
		1831/283	00	04	30
		1832/283	00	04	91
		1833/283	00	03	48
		187	00	34	00
		862/161	00	23	22
		863/161	00	20	87
		865/161	00	14	66
		कुल	04	10	06
5	कलावा	862/475	00	05	00
		486	00	01	26
		506	00	06	28
		कुल	00	12	54
6	तिलवाडा	986/326	00	06	39
		987/326	00	18	36
		460/326	00	11	52
		833/364	00	25	58
		819/248	00	10	62
		249	00	07	05
		516/234	00	05	94
		कुल	00	85	46
7	मेवानगर	1378/13	00	33	75
		1501/14 1502/14 1503/14 1504/14	00	50	58
		551/14 552/14	00	05	40
		कुल	00	89	73
8	वरिया तगजी	597/45 598/45	00	22	29
		595/37 596/37	00	34	61
		543/47 544/47 545/47 546/47	00	58	91
		551/72 552/72	00	05	10
		553/72 554/72	00	05	10
		586/206	00	36	95
		591/216	00	29	32
		कुल	01	92	28

[फा. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4477(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. No. 3239 (E) Dated 10 August 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India 3003 dated the 11 August 2021,, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of petroleum product from (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 07 September 2021,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : Pachpadra

DISTRICT: Barmer

STATE: RAJASTHAN

10	Village of Name	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambhra	30	00	44	78
		157/30			
		158/30			
		159/30			
		160/30			
		161/30			
		162/30			
		163/30			
		Total	00	44	78
2	Gopadi	335/157	02	36	55
		Total	02	36	55
3	Mandapura	1042/44	00	16	47
		110	00	16	47
		Total	00	32	94
4	Khed	722/1	00	25	89

		726/1	00	14	13
		725/1	00	31	57
		723/1	00	20	82
		716/1	00	13	15
		721/1	00	28	21
		757/3	00	00	90
		756/3	00	16	38
		514/3	00	41	68
		516/3	00	75	74
		673/286 668/286 669/286 675/286 878/286	00	19	68
		690/285 691/285 692/285	00	15	57
		1828/300	00	00	90
		1831/283	00	04	30
		1832/283	00	04	91
		1833/283	00	03	48
		187	00	34	00
		862/161	00	23	22
		863/161	00	20	87
		865/161	00	14	66
		Total	04	10	06
5	Kalawa	862/475	00	05	00
		486	00	01	26
		506	00	06	28
		Total	00	12	54
6	Tilwada	986/326	00	06	39
		987/326	00	18	36
		460/326	00	11	52
		833/364	00	25	58
		819/248	00	10	62
		249	00	07	05
		516/234	00	05	94
		Total	00	85	46
7	Mewanagar	1378/13	00	33	75
		1501/14 1502/14 1503/14 1504/14	00	50	58
		551/14 552/14	00	05	40
		Total	00	89	73
8	Variya Tagji	597/45 598/45	00	22	29
		595/37	00	34	61

		596/37			
		543/47 544/47 545/47 546/47	00	58	91
		551/72 552/72	00	05	10
		553/72 554/72	00	05	10
		586/206	00	36	95
		591/216	00	29	32
		Total	01	92	28

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P.SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4478(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3242 (अ) तारीख 10 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र 3003 तारीख तारीख 11 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 07 सितम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची
तहसील-सिणधरी **जिला-बाड़मेर** **राज्य-राजस्थान**

क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे न०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दाखां	1250/407	00	04	63
		386	00	04	36
		388	00	02	62
		1937/389	00	18	40
		कुल	00	30	01
2	धनवा	20	00	10	26
		260/2	00	08	17
		260	00	16	31
		कुल	00	34	74
3	जूना मीठा खेड़ा	285	00	09	62
		656/634	00	02	34
		कुल	00	11	96
4	गोलिया भाटा	354/1	00	12	60
		411	00	12	45
		कुल	00	25	05

[फा. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4478(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. No. 3242 (E) Dated 10 August 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India 3003 dated the 11 August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of petroleum product from (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 07 September 2021

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in

Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : SINDHARI

DISTRICT: BARMER

STATE: RAJASTHAN

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dakha	1250/407	00	04	63
		386	00	04	36
		388	00	02	62
		1937/389	00	18	40
		Total	00	30	01
2	Dhanwa	20	00	10	26
		260/2 260	00	08	17
		262	00	16	31
		Total	00	34	74
3	Joona Meetha Kheda	285	00	09	62
		656/634	00	02	34
		Total	00	11	96
4	Goliya Bhata	354/1	00	12	60
		411	00	12	45
		Total	00	25	05

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P.SOMA KUMAR, Under Secy.